भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5129

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

वंचित वर्गों का अपवर्जन

5129. श्री राकेश राठौर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं जो आधार सत्यापन में त्रुटियों, बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में विफलता अथवा डिजिटल जानकारी की कमी के कारण विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और नि:शक्त वर्गों के कितने लाभार्थी तकनीकी अथवा प्रमाणीकरण संबंधी त्रुटियों के कारण योजना के लाभ से वंचित रह गए है;

(ग) क्या सरकार द्वारा डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं कि डिजिटल प्रणाली के कारण समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के प्रति कोई असमानता न हो?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आधार-समर्थित सत्यापन आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें सहायता मिल सके। ऐसे मामलों में जहां लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत आधार सत्यापन या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से संबंधित

समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहां ऐसी त्रुटियों का सुधार सुनिश्चित किया जाता है ताकि कोई भी लाभार्थी लाभों से वंचित न रहे। इसके अलावा, छात्रवृत्ति से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल टीम द्वारा अलग-अलग हेल्पलाइन चलाई जा रही है। पीएफएमएस अपने स्वयं के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान करता है।

(ग) और (घ): विभाग अन्य पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, सोशल मीडिया पर अभियान चलाने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे विभिन्न कदम भी उठाए हैं। योजना के दिशानिर्देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है कि डिजिटल प्रक्रियाओं से समाज के कमजोर वर्गों को नुकसान न पहुंचे। आधार प्रमाणीकरण न हो पाने की स्थिति में, पहचान के सत्यापन के लिए वैकल्पिक तंत्र उबलब्ध कराए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित न रह जाएं।

योजना के दिशा-निर्देशों में आवेदन प्रक्रिया में लाभार्थियों की सहायता के लिए संस्थानों और नामित प्राधिकारियों के माध्यम से सुविधा सहायता का भी प्रावधान है। बालिकाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान तथा कई स्तरों पर एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी को समान रूप से लाभ उपलब्ध हों तथा योजनाएं समावेशी बनी रहें।
